विलोपित

91

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी-9006/I/17

श्री अजय श्रीवास्तव अभि. द्वारा आज दि. 6-1-17 को प्रस्तुत
6-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बाबूलाल पिता राजाराम गौड़ (आदिवासी)
निवासी ग्राम मानझिरी तह. जिला सागर ....आवेदक

//विरुद्ध//

म.प्र.शासन ....अनावेदक

प्र.क्र R-4018-I/16 आदेश दिनांक 30.11.16

48
6-1-17

आवेदक पत्र अंतर्गत धारा 152 व्य.प्रक्रिया संहिता

आवेदक की ओर से प्रार्थना निम्नानुसार है :-

1. यह कि, उपर्युक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.11.16 को आदेश पारित करते हुए निगरानी स्वीकार की गई है।

2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अधिवक्ता की त्रुटि के कारण भूमि खसरा नंबर 117/1 एवं 117/2 लेख किया गया है जबकि सही खसरा नंबर 117/2 एवं 117/3 है। इस कारण पारित आदेश की कंडिका 2 एवं 4 में उपरोक्त सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पारित आदेश एवं खसरा की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए पारित आदेश दि० 30.11.16 में उपरोक्तानुसार सुधार किए जाने की कृपा की जावे।

ग्वालियर
दिनाँक : 06.01.2017

....हेतु आवेदक

अजय श्रीवास्तव (एड.)
सागर (म०प्र०)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध- 9006/I/17 जिला ......सागर..........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-1-17	आवेदक की ओर से इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक R-4018-I/16 आदेश दिनांक 30.11.2016 जिसमें आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें त्रुटिवश खसरा नंबर 117/1 व 117/2 लेख हो गया है जबकि सही खसरा नंबर 117/2 व 117/3 है जिसके सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायहित में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर पारित आदेश में उल्लेखित खसरा नंबर 117/1 व 117/2 के स्थान पर 117/2 व 117/3 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश दिनांक 30.11.2016 का अंग माना जायेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। सदस्य	

[कृ. प. उ.